नम्बर / वर्ष 496 / 2017 अनवानी देवीसिह बनाम श्योकोरी

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
15/1/26	पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी व आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं प्रतिवादी संख्या 27 ,28 के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 के सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी / वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 4 ,14 ,25 ,26, 31, 33, 34 ,37,39 एवं 10 तथा वलविन्द्रसिह लावल्द फोत हो चुके है इनके जायज वारिसान वाद में आवश्यक पक्षकार है अनवानी वाद के वादी संख्या 1 देवीसिह पुत्र जगीरसिह जाति जटसिख का देहान्त दिनांक 13.07.2025 को हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है वादी के वारिसान को वादी संख्या 1 के स्थान पर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है मृतक के विरूद्व निर्णय पारित नही किया जा सकता है इसलिये उक्त दावा मे मृतकगण के स्थान पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है वादीगण पंजाब में रहते है इनके कानूनी अडचनो के बारे में कोई ज्ञान नही है इसलिये मृतको के स्थान पर उनके जायज वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 022 नियम 4 एव प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मृतकों के वारिसान को पक्षकार बनाया जाने के आदेश फरमावें। प्रतिवादी / अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 क सीपीसी एवं जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 4 शंकरलाल , प्रतिवादी संख्या 14 जोतराम , प्रतिवादी संख्या 25 सरस्वती , प्रतिवादी संख्या 26 नोरग प्रतिवादी संख्या 31 , प्रतिवादी संख्या 39 का देहान्त होना स्वीकार है किन्तु उसके समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 33 अमरसिह को देहान्त होना स्वीकार है किन्तु उसका वारिस सोहन नही है वल्की रमन पुत्र अमरसिह है प्रतिवादी संख्या 34 रामेती के वारिस कृष्ण पत्नी रामेती को पक्षकार नही बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 25 सरस्वती का दिनांक 24.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 26 नोरग का दिनांक 04.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 37 मनफुल का दिनांक 27.07.2019 को देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान को आदिनांक तक पक्षकार नही बनाया गया है तथा मृतकों के वारिसान को भी सही तौर से पक्षकार नही बनाया गया है प्रतिवादीगण के देहान्त होने के सुचना न्यायालय में दिनांक 19.08.2025 को देने के उपरान्त भी पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नही की गई है वादी का वाद कानूनन अबैट हो चुका है प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अबैट होने के कारण खारिज हो चुका है अतः प्रार्थी / वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाकर वादी का वाद अबैट किया जाकर खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी / प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4, 9 एवं आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश कर मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है वादी ने प्रार्थना पत्र देरीना से प्रस्तुत किया गया है तथा देरीना का ऐसा कोई भी सन्तोषजनक कारण व्यक्त नही किया गया है मात्र कथन किया गया है वादी / प्रार्थी ने मृतकों के देहान्त होने एवं उनके वारिसान के सम्बध में कोई ठोस कारण व्यक्त नही किया गया है मात्र अपने प्रार्थना पत्र में मृतक होना एवं वारिसान का नाम अंकित नही किया गया है जिसके सम्बध में प्रतिवादी का विरोध भी है कि वादी ने मृतको के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है वादी के किसी प्रकार का वारिसान के सम्बध में साक्ष्य पेश नही करने के कारण प्रतिवादी / अप्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य है। प्रतिवादी / अप्रार्थी ने [illegible] मृतकों के देहान्त होने के सम्बध में दिनांक 19.8.2025 को अवगत भी [illegible] गया था फिर भी वादी ने स्वय वादी संख्या 1 के देहान्त [illegible] काफी संख्या में है के वारिसान को पक्षकार बनाये ज[illegible] नही की गई है अब [illegible] प्रार्थना पत्र के संलग्न मात्र मियाद प्रार्थना पत्र एवं वादी [illegible]नजान होने का कथन [illegible] गया है जो स्वीकार योग्य नही है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:53:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता के कथनानुसार वादी को ज्ञान नही था कि वाद में मृतको के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना है जबकि वादी के अधिवक्ता का दायित्व था कि वह वाद पेश करने से पूर्व वादी से पक्षकारो के सम्बध में पूर्ण जानकारी लेता

प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र. आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी भी सही प्रकार से पेश नही किया गया ना ही मृतकों के वारिसान के सही प्रकार से पक्षकार नही बनाया गया है वादी का वाद वर्ष–2017 को पेश किया गया था जो वर्तमान में भी तलबी पर विचाराधीन चल रहा है जो विधिसम्मत नही है।

अप्रार्थी का कथन है कि वादी /प्रार्थी ने मतृको के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है जो अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से कुछ हद तक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 022 नियम 4 ,9 सीपीसी एवं 022 नियम 03 सीपीसी को सही प्रकार से समय पर प्रस्तुत नही किया गया है तथा मृतकों के समस्त वारिसान को पक्षकार भी नही बनाया गया है जबकि वादी एवं न्यायालय को प्रतिवादी के द्वारा 19.08.2025 को ही सुचना दे दी गई थी फिर भी वादी ने समय पर पक्षकार बनाने की कार्यवाही नही की गई है जो न्यायोचित नही है अर्थात वादी का वाद अबैट हो चुका है वादी /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समय पर समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य एवं प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अर्थात वाद वादी अबैट किया जाना विधि सम्मत है

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 , आदेश 022 नियम 3 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद अबेट होने के कारण वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 15/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:53:36 IST
Reason: SelfAttested